

**दाण्डिक नियमित प्रकरण क्रमांक - 63/2024**

**सुमन बनाम लोकेश**

**दिनांक – 14/03/2026**

पत्रावली आज दिनांक 14.03.2026 को आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखी गई। पूर्व की आदेशिका दिनांक 05.03.2026 का अवलोकन किया गया, उक्त दिनांक को परिवादीया सुमन की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा होना जाहिर कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, परिवादी को चैक के संदर्भवश सम्पूर्ण राशि प्राप्त हो गई है तथा परिवादी प्रकरण में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रकरण को राजीनामा के माध्यम से निस्तारित किया जाए।

उपर्युक्त परिदृश्य में प्रकरण जरिये राजीनामा निस्तारित किया जाकर अभियुक्त **लोकेश पिता मदनलाल, उम्र बालिग, निवासी ग्राम बड़ोली माधोसिंह, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़(राज.)** को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध से **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली फैसल-शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**सदस्य**

राष्ट्रीय लोक अदालत  
तालुका विधिक सेवा समिति,  
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)

**अध्यक्ष**

राष्ट्रीय लोक अदालत  
तालुका विधिक सेवा समिति,  
(अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)  
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़(राज.)